न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 57/2019
दायर दिनांक :– 04.04.2019

अनवान

1. मांगी बाई पुत्री राधाकिशन धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
2. लाली बाई पुत्री राधाकिशन धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर

प्रार्थीगण.....

बनाम

1. देबीलाल पिता राधाकिशन धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
2. रामनिवास पिता राधाकिशन धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
3. रामकन्या पुत्री मिश्रीलाल धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
4. शान्ति देवी पत्नि मिश्रीलाल धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
5. गीता देवी पत्नि सत्यनारायण धाकड नि. भरणीकला तह. जहाजपुर
6. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री जगदीश चन्द्र धाकड, एडवोकेट प्रार्थीगण
2. श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी सं. 4 व 5

:: निर्णय :: दिनांक 16.12.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम भरणीकला प0 ह0 भरणीकला तह. जहाजपुर की आ. सं. 921/1, 923/1, 921/2, 923/2, 921/3, 923/3 कुल किता 06 रकबा 08.15 बीघा भूमि अप्रार्थी सं. 1 से 4 के खाते में दर्ज है। किन्तु उक्त भूमि के 2/5 हक व हिस्से की भूमि पर प्रार्थीयागण काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उक्त भूमि पूर्व के राजस्व अभिलेख संवत 2033 से 2036 में प्रार्थियागण के पिता राधाकिशन पिता गोकल धाकड के खाते में दर्ज थी। प्रार्थीयागण के पिता की मृत्यु होने के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 व 2 एव अप्रार्थी सं. 3 व 4 के पिता एव पति मिश्रीलाल ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर हमारे पिता की समपुर्ण कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसका की उन्हे कोई अधिकार नही है। हम पक्षकारान हिन्दु होकर हिन्दु विधि से शासित होते हैं इस कारण राशाकिशन की सम्पति में हम प्रार्थीयागण को जन्म से ही हक एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। उक्त कृषि भूमि पैतृक होकर उक्त भूमि में 1/5 – 1/5 हक व हिस्सा प्रार्थीयागण का हैं उक्त भूमि मे प्रार्थियागण को 1/5 – 1/5 कुल 2/5 हक व हिस्से के लिये खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 एवं मिश्रीलाल ने प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कृषि भूमि को राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर गलत नाम दर्ज करवाने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने आराजी सं. 921/3, 923/3 को दिनांक 20.02.2019 को अप्रार्थी सं. 5 को विक्रय कर दिया हैं उक्त विक्रय पत्र हमारे हितो पर प्रभाव नही डालता हैं उक्त फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थी सं. 5 राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने एंव हमे बेदखल करने पर आमदा है। इस कारण अप्रार्थीगण मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन न करे व न करावे न ही प्रार्थियागण के शांतिपुर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे न करावें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक एव न्यायोचित हैं अप्रार्थीगण अगर अपनी मंशा मे सफल हो जाते हैं एव रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं तो प्रार्थीगणों को अनावश्यक मुकदमें बाजी में उलझना पडेगा। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात को किसी प्रकार का राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन न करे न करावे न ही प्रार्थीगण के शांतिपुर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्तपन्न न स्वंय करे न अन्य नोकर ऐजेन्ट से करावे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण सादर पारित करने की मांग की।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुये। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थी सं. 4, 5 की और से श्री अंजनी कुमार शर्मा, एडवोकेट का अधिकारी पत्र प्रस्तुत हुआ। जिसे शामिल फाईल किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 4 एंव 5 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र झुठे एवं गलत तथ्यों पर आधारित होने से इसमें वादीगण असफल होगे। भूमि के 2/5 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना अस्वीकार हैं प्रार्थीगण शादीशुदा होकर अपने ससुराल मे निवास करती हैं जिनका उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा एवं अधिकार नही रहा हैं अप्रार्थी सं. 3 व 4 वर्षो से उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार हैं एव भूमि उनके नाम विरासत से प्राप्त हुई हैं। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को 40 वर्षो से है। उस समय कोई विरोध दर्ज नही कराया गया। वर्तमान में भूमि की कीमत अधिक बढ जाने के कारण प्रार्थीगण की नियत में खोट आ गई और अप्रार्थीगण से भूमि हडपने की नियत से यह झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका अप्रार्थी सं. 3 व 4 का विक्रय आदि करने का पुर्ण रूप से अधिकार होने के कारण अपने पारिवारित खर्च की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता होने से अपने हिस्से की भूमि का मुझ अप्रार्थी सं. 5 को विधिनुसार विक्रय किया है और पंजीकृत विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त कराये बिना प्रार्थीगण का यह प्रार्थीना पत्र इस न्यायालय मे चलने योग्य नही हैं अप्रर्थी सं. 5 ने समस्त राजस्व रेकार्ड की उचित जॉच पडताल कर भूमि अप्रार्थी सं. 3 व 4 के नाम दर्ज होने व भूमि पर इनका विधिनुसार कब्जा होने से उचित प्रतिफल राशि अदा कर भूमि क्रय की है एव भुमि पर क्रय करने की दिनांक से मुझ केता का कब्जा काश्त चला आ रहा है अप्रार्थी सं. 5 सदभावी केता है जिसे विरूद्व कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर अप्रार्थी सं 5 को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र झुठे एवं गलत तथ्यो पर आधारित होने से खारिज कराया जाना फरमावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 3 व 4 द्वारा उक्त वर्णित जमीन को दिनांक 20.02.2019 को जरिये विक्रय पत्र अप्रार्थी सं. 5 को विक्रय कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2019 को न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। चुंकि उक्त वर्णित कृषि भुमि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

होने से पुर्व ही बेचान हो चुकी है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नही समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2020.01.19 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested
Location: